

प्रेस नोट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 20.03.2024

01 अदद अवैध देशी तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष पीपीगंज के नेतृत्व में थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सुदामा गौड़ पुत्र चौथी गौड़ निवासी भीटी तिवारी थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 80/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपीगंज, जनपद- गोरखपुर पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुदामा गौड़ पुत्र चौथी गौड़ निवासी भीटी तिवारी थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 80/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-30/24 धारा 504,506 भा0द0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियन्त्रण अधिनियम 1970, थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 88/2020 धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 व 3(1)द,ध SC/ST Act थाना पीपीगंज, गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 71/2018 धारा 307, 323, 504, 506 भा0द0सं0 थाना पीपीगंज, गोरखपुर।
4. मु0अ0सं0 392/2017 धारा 376, 506 भा0द0सं0 थाना चिलुआताल, गोरखपुर।
5. मु0अ0सं0 285/2023 धारा 279, 337, 338 भा0द0सं0 थाना फरेन्दा, महाराजगंज।
6. मु0अ0सं0 133/2013 धारा 110जी थाना पीपीगंज, गोरखपुर।
7. मु0अ0सं0 1145/2010 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपीगंज, गोरखपुर।
8. मु0अ0सं0 187/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपीगंज, गोरखपुर।
9. मु0अ0सं0 668/2021 धारा 3/4 उ0प्र0गुण्डा नियन्त्रण अधि0 थाना पीपीगंज, गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-व0उ0नि0 शेर बहादुर यादव पीपीगंज जनपद गोरखपुर
- 2-कां0 रामाशंकर तिवारी थाना पीपीगंज गोरखपुर
- 3-कां0 आकाश यादव थाना पीपीगंज, गोरखपुर